

11-4-22

आज पत्रावली पेशा इर (वादी व वादी  
के वकील अनुपस्थित पत्रावली में बार-बार  
आवाज दिलाया गया। लेकिन कोर्ट की उप  
मधी आगे नहीं कोर्ट सुनना ही प्रालत इर।  
इससे प्रतीत होता है कि वादी वाद चलाना  
ही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम  
दाजरी में रवाइज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद  
तकमील देखिल नफतर हो

  
उपस्थित अधिकारी  
नीमराणा (अलवर) राज.

